

प्रेषक,

राधा रत्नेंदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली / रुद्रप्रयाग / टिहरी / उत्तरकाशी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-01

दिनांक: देहरादून २७ जून 2013

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में आयी दैवीय आपदा के दृष्टिगत, प्रभावित क्षेत्रों हेतु सब्सिडीमुक्त (Non-PDS) मिट्टी तेल आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के ई-मेल दिनांक-26.06.2013 के माध्यम से राज्य में आयी दैवीय आपदा के दृष्टिगत, उत्तराखण्ड राज्य हेतु 5000 के0एल0 सब्सिडीमुक्त (Non-PDS) मिट्टी तेल आवंटित किया गया है। अतः इस संबंध में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मिट्टी तेल में से वर्तमान में, दैवीय आपदा से अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रों हेतु, 80 के0एल0 मिट्टी तेल, निम्न विवरण के अनुसार, आवंटित किया जाता है—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कम्पनी	थोक विक्रेता	आवटन
1.	चमोली	आई0ओ0सी0	मै0 ऋषि कुमार सुशील कुमार, गैरसेण	10 के0एल0
2.	चमोली	आई0ओ0सी0	मै0 मंगूमल चन्द्र प्रकाश कर्णप्रयाग	10 के0एल0
3.	चमोली	आई0ओ0सी0	मै0 लक्ष्मी ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, पोखरी	10 के0एल0
4.	रुद्रप्रयाग	आई0ओ0सी0	मै0 बी0पी0काला एण्ड कम्पनी	10 के0एल0
5.	रुद्रप्रयाग	आई0ओ0सी0	मै0 लक्ष्मी ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स, उखीमठ	10 के0एल0
6.	उत्तरकाशी	आई0ओ0सी0	मै0 अविनाश ऑयल कम्पनी, गगोरी	10 के0एल0
7.	उत्तरकाशी	आई0ओ0सी0	मै0 हिमालय ऑयल ट्रेडर्स, राजगढ़ी	10 के0एल0
8.	टिहरी	आई0ओ0सी0	मै0 गढ़वाल ऑयल, चम्बा	10 के0एल0

2— जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा "थी स्टेज वैकिंग" कराई जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में, मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सब्सिडीयुक्त (Subsidized) एवं सब्सिडीमुक्त (Non-PDS) मिट्टी तेल की दर में, आ रहे अन्तर की धनराशि, सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा, आपदा प्रबन्धन हेतु प्राप्त बजट की धनराशि में से भुगतान की जायेगी।

4— जिलाधिकारी, अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।

- 5— एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में, जिलाधिकारी द्वारा अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि औचित्य स्थापित होने की दशा में तदनुसार परिवर्तन किया जा सके।
- 6— आवंटित की गई मात्रा के मिट्टी तेल को, तत्काल उठान के लिए एजेन्सी/डीलर को निर्देश जारी कर दिये जायें। आवंटित तेल की मात्रा का एक साथ उठान सुनिश्चित कराया जाय।
- 7— किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।
- 8— उपरोक्तानुसार, आवंटित किये जा रहे मिट्टी तेल का उपयोग, आपदा राहत कार्यों हेतु ही किया जायेगा।

मवदीया,


(राधा रत्नांजलि)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1204 / XIX-1 / मि०ते०आवं० / 13-112 / 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2— उप सचिव, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3— प्रमुख निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को, मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4— प्रमुख निजी सचिव, मा० खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी को, मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5— निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
- 6— प्रमुख निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 7— प्रमुख निजी सचिव, सचिव आपदा प्रबन्धन को, सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 8— आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 9— राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई०आ०सी० देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि, सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
- 10— जिलापूर्ति अधिकारी चमोली/रुद्रप्रयाग/टिहरी/उत्तरकाशी।
- 11— महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
- 12— समन्वयक, एन०आई०सी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 13— प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(हुकम सिंह)
अनुसचिव।